उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्याः 2/2021-जी-2-108/दस-2021-502/85

लखनऊः दिनांक: 11 जून, 2021

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली,1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1)- यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 17 (1) (क) का संशोधन

2- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-17(1)(क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17-(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम-16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधरणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:- परन्तु किसी भी मामले में नियम-16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रूपये से अधिक न होगी। **टिप्पणी-1** - गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रू0 से अधिक हो तो	17-(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधरणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते के अतिशेष के तीन चैथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:- परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि रू. 75,000 रू0 (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) से अधिक न होगी। **टिप्पणी-1** - गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रू0 (चालीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। **टिप्पणी-2-(क)** किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।	रूपये मात्र) से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी। **टिप्पणी-2-(क)** किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा।

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 2/2021-जी-2-108(1)/दस-2021-502/85,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of Constitution, the Governor is Pleased to order the publication of the following English translation of notification no No.G-2-108 /X-2021-502/85, Dated June 11, 2021 :

UTTAR PRADESH SHASAN
Vitt (Samanya), Anubhag-2

NOTIFICATION

Miscellaneous
No.2/2021-G-2-108/2021-502/85
Dated Lucknow, 11 June, 2021

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT) RULE, 2021

Short title and commencement 1- (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rule,2021
(2)They shall come into force at once.

Amendment Of rule 17(1)(A) 2- In General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules,1985, for rule 17(1)(A) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rules	**Rules as hereby substituted**
Conditions for withdrawal (1) (A) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clauses (A) , (C), (D) or (E) of Rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six month's pay, whichever is less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund: **Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub clauses (d) and (e) of clause (c) of**	Conditions for withdrawal (1) (A) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clauses (A) , (C), (D) or (E) of Rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of such amount or six month's pay, whichever is less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made an (ii) the amount to his credit in the Fund: **Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub clauses (d) and (e) of clause (c) of su-rule (1) of Rule 16 shall**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

sub rule (1) of Rule 16 shall exceed Rs. 40,000.

Note 1- In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs.25,000 . It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

Note 2- For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of Rule 16.

exceed Rs. 75,000 (Rupees seventy five thousand only).

Note 1- In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds **Rs. 40,000 (Rupees forty thousand only).** It will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefore, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

Note 2- For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of Rule 16.

S. RADHA CHAUHAN,
Additional Chief Secretary.

No.2/2021-G-2- 108(1) /x-2021-502-85, of dated.

copy forwarded for information and necessary action of the following-

1- Accountant General (Audit/Account I and II) Uttar Pradesh, Allahabad.
2- All heads of departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.
3- All sections of the secretariat.
4- Secretary, Assembly/Council, Uttar Pradesh, Lucknow.
5- Joint Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh, Aishbagh, Lucknow with the request that the notification may please be printed in the next issue of State Gazette.

by order,
SARYU PRASHAD MISHR,
Special Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in